THROUGH HUMANITY TO PEACE

Indian Red Cross Society

(14)

CHHATTISGARH RAIPUR
(CONSTITUTED UNDER ACT XV OF 1920)

Sonmoni Borah, IAS
Chairman

Pradeep Kumar Sahu
Secretary

Phone : 0771-2435400
Email : ircschhattisgarh@gmail.com

State Headquarters : Red Cross Bhavan, First Floor,
Collectorate Premises, Raipur (C.G.) 492001

क्र. / इंरेसो / छगराशा / 2020 / ....189 रायपुर, दिनांक 17/02/2021

प्रति,

कलेक्टर एवं अध्यक्ष,
इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी,
समस्त जिला शाखा, छ.ग.

विषय :— जिले के समस्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जूनियर एवं यूथ रेडक्रॉस की स्थापना के संबंध में।

संदर्भ :— 1/ छ.ग. राज्य स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ–6/2015/20तीन रायपुर दिनांक 22/05/2015.
2/ भारेसो/छराशा/जेआरसी/272/2017 रायपुर दिनांक 06/07/2017

—0—

संदर्भित पत्रों के परिपेक्ष्य में रेडक्रॉस शुल्क अंशदान पंजीयन/नवीनीकरण संबंधी कार्यवाही हेतु मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा :—

1. **विद्यालय संबंधी —** जेआरसी शुल्क हाई स्कूल/हायर सेकंडरी स्कूल में 30/— रू. प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्रतिवर्ष लिया जाना निर्धारित किया गया है। जेआरसी नियमावली में दर्शाए अनुसार दर्ज विद्यार्थी संख्या के आधार पर पंजीयन/नवीनीकरण राशि तथा कुल प्राप्त राशि का 20 प्रतिशत राज्य शाखा को तथा 10 प्रतिशत जिला शाखा को डी.डी. के माध्यम से भेजना है।
2. **महाविद्यालय संबंधी :—** वायआरसी शुल्क समस्त कॉलेजों में 40/— रू. प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्रतिवर्ष लिया जाना निर्धारित किया गया है। प्रत्येक महाविद्यालयों को प्रतिवर्ष 250/— रू. पंजीयन/नवीनीकरण राशि तथा कुल संग्रहित राशि का 20 प्रतिशत राज्य शाखा को तथा 10 प्रतिशत जिला शाखा को डी.डी. के माध्यम से भेजना है।
3. **अन्य बिन्दू :—** प्रत्येक शिक्षा सत्र में संस्था द्वारा किया गया रेडक्रॉस गतिविधियों की जानकारी प्रतिवेदन अलग–अलग कार्यक्रम व फोटोग्राफ्स के साथ इस कार्यालय में जिला शाखा के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

निरंतर 2

माननीया राज्यपाल एवं अध्यक्ष इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, छ.ग. राज्य शाखा के निर्देशानुसार राज्य के शत–प्रतिशत शासकीय–अशासकीय, अनुदान प्राप्त शालाओं में जूनियर रेडक्रॉस तथा समस्त महाविद्यालयों (शासकीय–अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, आई.टी.आई., विज्ञान महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, कृषि–उद्यानिकी एवं अन्य महाविद्यालय इत्यादि) में यूथ रेडक्रॉस का विधिवत गठन कर गतिविधियाँ सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जाना है।

रेडक्रॉस संवैधानिक संस्था है जो शासन की सहयोगी संस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। शिक्षा संहिता के अध्याय 10 में दिये नियम 125 के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में रखी जाने वाली निधियों के अन्तर्गत रेडक्रॉस निधि की स्थापना की व्यवस्था है। यह राशि विद्यार्थियों के प्रशिक्षण तथा जेआरसी की आवश्यकताओं पर व्यय हेतु उपयोग की नियमानुसार व्यय की जानी है।

इस प्रकार विद्यालय/महाविद्यालय अथवा जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर रेडक्रॉस राज्य व जिला शाखा के राशि का किसी भी परिस्थिति में ना ही व्यय की जाएगी और ना ही कार्यालय में शेष रखेंगे अन्यथा ऐसी स्थिति में वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में मानते हुए गैर जिम्मेदारी कार्य करने की कार्यवाही की जावेगी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्तानुसार समस्त बिन्दुओं में जिला रेडक्रॉस के अध्यक्ष होने के नाते और जिला प्रमुख की हैसियत से तत्परता के साथ आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सहयोग प्रदान करेंगे।

संलग्न निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजने हेतु जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारी अथवा जिम्मेदार अधिकारी को नियुक्त करें।

संलग्न :– निर्धारित प्रपत्र

05/12/2021

(सोनमणि बोरा)आई.ए.एस.
चेयरमेन
इंड़ियन रेडक्रॉस सोसायटी
छ0ग0 राज्य शाखा, रायपुर

निरंतर ....3...........

इसमें कम-से-कम तीन छात्रा प्रतिनिधि, प्राध्यापक, पी.टी.आई. पुस्तकालय प्रभारी सदस्य रहें। समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या 11 होगी।

प्राध्यापक वर्ग का कोई सदस्य इसका संगठक होगा।

जिलाध्यक्ष एवं मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेवा अधिकारी के परामर्श एवं मार्गदर्शन में जन स्वास्थ्य तथा सेवा के क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे।

यह समिति छात्रों के सर्वांगीण विकास, उनमें स्वप्रेरित सेवा भाव जागृत करने, रोगियों पीड़ितो, अशक्त तथा असहायों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने, कार्य शालाओं का आयोजन करने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व भ्रातृत्व की भावना जागृत करने हेतु कार्य योजना बनाकर कार्य करेगी।

महाविद्यालयीन स्तर पर इस समिति के कार्यो की छमाही समीक्षा, चेयरमेन राज्य शाखा द्वारा की जायेगी। (6 Month Examine by State chairman)

पंजीयन एवं सदस्यता :-

सभी यूथ रेडक्रॉस युनिटों को भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, छत्तीसगढ़ राज्य शाखा में पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के लिए 250/- रू. शुल्क के साथ एक आवेदन पत्र राज्य शाखा में प्रस्तुत कर पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

यूथ रेडक्रॉस का वार्षिक सदस्यता शुल्क रू. ~~25~~ 40/- प्रति छात्र होगी।

सदस्यता शुल्क के रूप में प्राप्त राशि का 70 % महाविद्यालय द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक खाता खोलकर रखा जायेगा तथा कार्यसमिति के अनुमोदन से यूथ रेडक्रॉस की गतिविधियों पर व्यय किया जा सकेगा। आय-व्यय का वार्षिक लेखा भी निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट एक) में राज्य शाखा तथा जिलाशाखा को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तत्काल पश्चात् प्रस्तुत की जायेगी। सदस्यता शुल्क की 30% राशि सीधे राज्य शाखा को भेजी जायेगी। राज्य शाखा द्वारा इस प्रकार प्राप्त राशि में से 10% जिला शाखा को यूथ रेडक्रॉस की